

नगर की अवधारणा (Concept of City)

नगर या नगरीय समुदाय का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Cities or Urban Community)

नगरीय समुदाय क्या है? ग्रामीण समुदाय की तरह ही नगरीय समुदाय की परिभाषा देना कठिन है। विश्व के लगभग सभी देशों में नगर या नगरीय शब्द का आशय एक समान नहीं है। नगर के क्षेत्र के विषय में भी अलग-अलग धारणाएँ हैं, जैसे हंगरी के नगरों में कृषि क्षेत्र शामिल होता है तथा लैटिन अमेरिका में म्यूनिसिपैलिटी को बहुधा नगर मान लिया जाता है, यद्यपि इसमें बहुत से ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल कर लिये जाते हैं। “नगरीय समुदाय” शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है जनसंख्यिकीय रूप में और समाजशास्त्रीय रूप में। पहले अर्थ में जनसंख्या के आकार, जनसंख्या की सघनता और वयस्क पुरुषों में से अधिकांश के रोजगार के स्वरूप पर बल दिया जाता है, जबकि दूसरे अर्थ में विषमता अवैयक्तिकता, अन्योन्याश्रय और जीवन की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित रहता है। 1991 ई. की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 4,689 नगर थे जिनमें महानगर व विराट् नगर भी शामिल किये गये थे।

मैक्स वेबर (1961) और जार्ज सिमल (1950) जैसे अन्य समाजशास्त्रियों ने नगरीय वातावरण में सघन आवासीय परिस्थितियों, परिवर्तत में तेजी और अवैयक्तिक अन्तः क्रिया पर बल दिया है। रूथ ग्लास (1956) जैसे विद्वानों ने नगर को जिन कारकों द्वारा परिभाषित किया वे जनसंख्या का आकार, जनसंख्या की सघनता, प्रमुख आर्थिक व्यवस्था, प्रशासन की सामान्य रचना और कुछ सामाजिक विशेषताएँ हैं। सोम्बर्ट (Sombart) ने घनी जनसंख्या पर बल देते हुए कहा है कि, “नगर एक वह स्थान है, जो इतना बड़ा है कि उसके निवासी परस्पर एक-दूसरे को नहीं पहचानते हैं।”

प्रो. विलकाक्स के शब्दों में, “नगरों के अन्तर्गत उन समस्त क्षेत्रों को लिया जा सकता है, जिसमें जनसंख्या का घनत्व प्रतिवर्ग 1000 से अधिक से और जहाँ वास्तव में कोई कृषि नहीं होती है।”

लुईस विर्थ (Lous Wirth) के शब्दों में, “नगर अपेक्षाकृत एक व्यापक घना तथा सामाजिक दृष्टि से विजातीय व्यक्तियों का स्थायी निवास क्षेत्र है। इन्हीं के आधार पर नगरीय समुदाय के लक्षण निश्चित किये जाने चाहिए।”

“नगर के साथ-साथ महानगर” (Metropolis), ‘विराट् नगर’, (Mega City or Megalopolis), “विश्व नगर” (Cosmopolis or Cosmopolitan City or Ecumenopolis) तथा नगर समूह

(Conurbation) इत्यादि शब्दों को व्यवहार में लाया जाता है। इन सब शब्दों में जनसंख्या के आकार, जनसंख्या के घनत्व, आवागमन एवं संचार साधनों की सुविधाओं आदि के आधार पर विभेद किया जाता है। भारत में दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को महानगर जिस नगर की जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है उसे 'विराट नगर' कहा जाता है। 'विश्व नगर' के लिए जनसंख्या के आकर को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता है।

'नगर-समूह' या 'कोनर्बेशन' शब्द का तात्पर्य निम्नतर विस्तारित होते हुए ऐसे नगरीय क्षेत्र से है जिसकी रचना कई पूर्व पृथक् नगरों से हुई होती है। उदाहरण स्वरूप दिल्ली कोनर्बेशन तथा कोलकाता कोनर्बेशन 'नगर- समूह' का नाम लिया जा सकता है।

नगरीय समुदाय की विशेषताएँ

(Characteristics of Cities or Urban Community)

नगरीय समुदाय में पायी जाने वाली प्रमुख विशेषताएँ निम्न प्रकार वर्णित हैं

1. एक नगर निवासी अपने परिचितों को भूलता रहता है और नये व्यक्तियों से संबंध बनाता रहता है। उसके अपने पड़ोसियों से एवं कलब आदि जैसे समूहों के सदस्यों से अधिक मेंत्रीपूर्ण संबंध नहीं होते, इसलिये उनके चले जाने से उसे कोई चिन्ता नहीं होती।
2. नगरीय समुदाय की प्रमुख विशेषता यह है कि वहाँ द्वितीयक समिति और नियन्त्रण की प्रधानता है। कॉलेज, कारखाना, श्रमिक संघ आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। साथ ही, ये सभी समितियों या समूह अपने-अपने विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। इस अवधि के दौरान इन समितियों पर नियन्त्रण की समस्या सम्मुख आयी है। इन समितियों में अत्यधिक असमानताएँ होती हैं जिससे इन पर प्रथा, परस्पर या धर्म के माध्यम से नियन्त्रण रखना सम्भव नहीं होता है। इसलिए द्वितीयक नियन्त्रण के साधनों, जैसेकानून, पुलिस, कोर्ट, सेना आदि का प्रयोग इन पर किया जाता है।
3. नगरवासियों के एक-दूसरे से घनिष्ठ संबंध नहीं होते। गाँवों में वैयक्तिक पारस्परिक परिचितता, जो अड़ोस-पड़ोस के लोगों में निहित होती है, नगर में नहीं होती है। नगरों में द्वितीयक समूहों का आधिक्य होता है और इन समूहों में अधिकतर सम्बन्ध 'छुओ और जाओ' (Touch and go) की प्रकृति का होता है। वास्तव में नगरों में अधिकतर सम्बन्ध डाक, तार, टेलीफोन, सिनेमा, टेलीविजन, इन्टरनेट आदि के माध्यम से स्थापित होते हैं और इसीलिए यहाँ व्यक्तिगत सम्बन्धों की बेहद कमी पायी जाती है।
4. नगर जहाँ एक ओर विकसित होते हैं, वहाँ दूसरी ओर वहाँ आये दिन अपराधों की संख्या भी बढ़ती जाती है। इसलिए कहा जा सकता है कि नगर व्यक्तियों का विकास तो करते हैं परंतु उन्हें अपराध का शिकार भी बनाते हैं।
5. नगरीय समुदाय व्यक्ति से उसके व्यवहार के मानकीकरण करने की अपेक्षा करता है, जो अंततः उसे और दूसरों को एक-दूसरे को समझने में मदद करता है और पारस्परिक संबंधों को अधिक सरल बनाता है।
6. नगरों में व्यक्तियों को जहाँ एक ओर हर सुविधा प्राप्त हो जाती है, वहाँ दूसरी ओर श्रम-विभाजन से रोजगार भी प्राप्त हो जाते हैं। एक ही व्यवसाय में श्रम विभाजन होता है, जैसे डॉक्टरों में हर बीमारी के लिए अलग-अलग डॉक्टरों की आवश्यकता होती है।
7. नगरों में लोग अपने व्यवसाय व व्यक्तित्व से अधिक जाने जाते हैं न कि जन्म के आधार पर

- इसलिए व्यक्ति अपने को प्रतिष्ठित व दूसरों से अधिक महत्व दिलाने की होड़ में लगे रहते हैं।
8. नगरीय समुदाय में श्रम-विभाजन, प्रतिस्पर्धा और विभिन्नता के कारण गतिशीलता की मात्रा भी अधिक होती है। यहाँ पर व्यक्तिगत योग्यतानुसार हर समय में परिवर्तन लाया जा सकता है। अन्य क्षेत्रों में भी परिवर्तन अत्यधिक तीव्रता के साथ होता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक दायरा बढ़ने के कारण और विभिन्न व्यक्तियों और समूह के आपस में सम्पर्क में आने के कारण एक-दूसरे के प्रति सहनशीलता का विकास होता है। अतः सामाजिक गतिशीलता और सहनशीलता नगरीय समुदाय की एक प्रमुख विशेषता है।
9. नगरीय समुदाय ग्रामीण समुदायों की अपेक्षा बहुत अधिक बड़े होते हैं। एक ओर नौकरी के अवसरों की उपलब्धता और दूसरी ओर भौतिक एवं शैक्षणिक, चिकित्सा और मनोरंजन की सुविधाएँ व्यक्तियों को शहरों की ओर आकर्षित करते हैं और लोग दिखावे की जिंदगी जीने लगते हैं।
10. नगरों में व्यक्तियों में व्यवसायों, धर्म, वर्ग, जीवन-स्तरों और सामाजिक विश्वासों के आधार पर भेद किया जाता है, फिर भी वे एक-दूसरे पर निर्भर होते हैं और कार्यरत संपूर्ण इकाई के रूप में कार्य करते हैं।
11. नगरीय क्षेत्रों के जीवन में एकरूपता का अभाव होता है। नगरों में उद्योग-धन्दों, व्यापार और वाणिज्य की अनेक सुविधाएँ होने के कारण अनेक धर्मों, सम्प्रदायों, जातियों, वर्गों, प्रान्तों आदि के व्यक्ति आकर बस जाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ जीवन के प्रत्येक पक्ष में विभिन्नता की झलक देखने को मिलती है। इस विभिन्नता के कारण ही व्यक्तियों के रहन-सहन, भाषा, वेश-भूषा, चाल-चलन आदि में एकरूपता नहीं आ पाती है और इस रूप में नगरों में सामाजिक विभिन्नता कायम रहती है।
- नगरीयता की विशेषताओं के उपरोक्त विवरण से ऐसा आभास होता है कि शहरों में व्यक्तिगत संबंध, प्राथमिक समूह और सामाजिक घनिष्ठता होती ही नहीं है। यदि जानबूझकर विकसित की गयी संस्थाएँ व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं तो प्राथमिक समूह भी सदस्यों को जन्म के आधार पर प्रवेश देते हैं। प्राथमिक समूह के सदस्य एक-दूसरे के मिले-जुले हितों के कारण आपस में बँधे रहते हैं। उनके संबंध अधिक भावात्मक और भावप्रवण होते हैं। इसके अलावा नगरीय समुदाय की कुछ अन्य विशेषताएँ भी होती हैं, जिनमें परिवार की अस्थिरता, सामुदायिक भावना का अभाव, प्रकृति से दूर जीवन, मनोरंजन का व्यापारीकरण, स्त्रियों की अपेक्षाकृत उन्नत स्थिति, प्रेम विवाह, अन्तर्जातीय विवाह आदि उल्लेखनीय हैं।

भारत में नगरीकरण

(Urbanization in India)

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों से लोग रोजगार व शिक्षा के अवसर प्राप्त करने के लिए बड़ी तादात में नगरों की ओर प्रस्थान करते हैं। नगरों की चकाचौंध लोगों को प्रभावित करती है और अक्सर लोग नगरों में बस जाते हैं। जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में जाना नगरीकरण कहलाता है। इसके परिणामस्वरूप जनसंख्या का बढ़ता हुआ भाग ग्रामीण स्थानों में रहने के बजाय शहरी स्थानों में रहता है। **थौमसन वारन** ने इसकी परिभाषा इस प्रकार की है “यह ऐसे समुदायों के व्यक्तियों जो प्रमुख रूप से या पूर्णरूप से कृषि से जुड़े हुए हैं, का उन समुदायों में जाना है, जो साधारणतया उनसे बड़े हैं और जिनकी गतिविधियाँ मुख्यरूप से सरकार, व्यापार, उत्पादन या इनसे संबद्ध कारोबार पर केन्द्रित हैं।” भारत में नगरीकरण की गति अन्य दक्षिण-पूर्व के देशों की अपेक्षा तेज है। 1900 में भारत के अनेक भागों में पड़े अकाल के कारण कई ग्रामीण व्यक्ति नगरों

भारतीय नगरीय जीवन के आधारभूत लक्षण

(Basic Features of Indian Urban Life)

भारतीय नगरीय जीवन में विभिन्न विशेषताएँ व लक्षण परिलक्षित होते हैं, जो निम्नलिखित हैं-

(1) **द्वितीयक नियन्त्रण का होना** (Secondary control) द्वितीयक नियन्त्रण के साधनों यथा शिक्षा, पुलिस, कानून आदि की प्रधानता ही नगरीय जीवन का एक प्रमुख लक्षण व विशेषता है। व्यक्ति पर परिवार मित्र-मण्डली तथा धार्मिक विचारों इत्यादि का इतना अधिक नियन्त्रण अवैयक्तिक संबंधों के कारण नहीं रह पाता है।

(2) **सामाजिक सहिष्णुता का होना** (Social tolerance) लोगों को नगरीय समुदाय में एक साथ निवास भारत में सामाजिक विजातीयता होने के बावजूद भी करना पड़ता है। इस कारण उनमें एक-दूसरे के प्रति सामाजिक सहिष्णुता में बढ़ोत्तरी होती है। सहनशीलता नगरीय समुदाय की प्रमुख विशेषता इसलिए बन जाती है; क्योंकि विभिन्न प्रकार की जनसंख्या तथा अवैयक्तिक सम्बन्ध वहाँ पाये जाते हैं।

(3) **व्यक्तिवादिता का होना** (Individualism) अवसरों की बहुलता तथा सामाजिक गतिशीलता सभी निर्णय स्वयं लेने तथा अपने जीवन का स्वयं नियोजन करने के लिए साहचर्य की द्वितीयक व ऐच्छिक प्रकृति वाध्य कर देते हैं।

(4) **ऐच्छिक साहचर्य का होना** (Voluntary association) इससे तात्पर्य है कि लोग अपनी सोच व लक्ष्य को नगरों में प्राप्त कर ही लेते हैं। नगरीय जनसंख्या का व्यापक आकार इसमें घनिष्ठ मिलता विभिन्न तथा सरल सम्पर्क, नगर को ऐच्छिक साहचर्य के योग्य और पूर्ण स्थान बना देते हैं। लोगों की सोच अलग होने के बावजूद भी उन्हें अपने-जैसे व्यक्ति मिल जाते हैं तथा इससे ऐच्छिक

संगठनों का विकास होता है। इस संदर्भ में डेविस महोदय ने लिखा है “नगरों में ऐच्छिक साहचर्य की इतनी अधिक महत्ता हो जाती है कि प्राथमिक समूह भी इस प्रवृत्ति के वशीभूत हो जाते हैं। यहाँ तक कि विवाह सम्बन्धों में भी ऐच्छिकता आ जाती है तथा प्रेम सम्बन्धों में प्रवेश करना तथा इनको छोड़ देना, दोनों ही काफी सरल हो जाता है।”

(5) **सामाजिक गतिशीलता होना (Social Mobility)** नगरीय क्षेत्र सामाजिक प्रतिष्ठा में परिवर्तन लाने के अवसर प्रदान करते हैं जिसके कारण गाँवों की तुलना में शहरों में अधिक उर्ध्वगामी गतिशीलता समतल या उदग्र हो सकती है। सामाजिक गतिशीलता के अलावा नगरों में भौगोलिक गतिशीलता भी पायी जाती है। नगरों का विस्तृत श्रम-विभाजन, उसकी प्रतियोगी प्रकृति तथा अवैयक्तिकता के कारण व्यक्ति के अर्जित गुणों की महत्ता अधिक हो जाती है। अर्जित गुणों की महत्ता में वृद्धि तथा प्रदत्त गुणों की महत्ता में कमी के कारण नगरीय व्यक्ति अपने जीवन काल में ही पद को उच्च तथा निम्न कर सकता है। कार्यकुशलता में वृद्धि तथा नवीनता के आधार पर व्यक्ति ज्यादा गतिशील होते हैं।

(6) **सामाजिक विजातीयता का होना (Social heterogeneity)** नगरों के लोग प्रायः भिन्न-भिन्न जाति, वर्ग, धर्म से संबंध रखते हैं तथा उनके व्यापार उद्योग भी अलग-अलग होते हैं। लोग अपनी-अपनी इच्छानुसार खान-पान, रहन-सहन इत्यादि को महत्त्व देते हैं। इसलिए नगरीय लोगों में एक-दूसरे के प्रति भिन्नता पायी जाती है।

(7) **द्वितीयक समितियों का होना (Secondar associations)** नगरों में द्वितीयक समितियों को अत्यधिक महत्त्व दिया जाता है, जिसके कारण नगरीय समुदाय के लोग एक-दूसरे से वैयक्तिक रूप से परिचित नहीं होते हैं। जिसके कारण नगरवासियों के जीवन के द्वितीयक सम्बन्धों का महत्त्व और बढ़ जाता है। मित्रों तथा परिचित व्यक्तियों से भी हमारे सम्बन्ध स्वयं में पूर्व नहीं होते हैं।

गाँव एवं नगर समुदाय में अंतर

(Difference between Village and Town Community)

गाँव तथा नगर की अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं। गाँव और नगरों की तुलना करें तो उनमें अन्तर भी इन्हीं विशेषताओं के आधार पर किया जा सकता है। आइये जानते हैं कि इन दोनों समुदाय के मध्य प्रमुख भेद क्या हैं।

1. गाँव के सदस्यों में सामाजिक गतिशीलता बहुत कम पायी जाती है। व्यवसाय तथा सामाजिक जीवन एक होने के कारण गतिशीलता की अधिक सम्भावना भी नहीं रहती। व्यक्ति की प्रसिद्धि प्रदत्त आधार, जैसे: जाति, परिवार आदि पर निर्धारित होती है। इसके विपरीत नगर में सामाजिक तथा व्यावसायिक गतिशीलता अधिक पायी जाती है। व्यक्ति अर्जित गुणों के आधार पर प्रसिद्धि प्राप्त करता है।
2. सरल व शांत जीवन होने के साथ गाँवों में एक-दूसरे के प्रति संबंध अच्छे होते हैं। इसके विपरीत नगर अधिक व्यापक क्षेत्र होते हैं, इसलिए इनमें द्वितीयक संबंध पाये जाते हैं। सम्बन्धों में औपचारिकता अथवा कृत्रिमता पायी जाती है।
3. गाँव में धर्म को अधिक मान्यता दी जाती है। जीवन के हर पहलू में धार्मिक विचारों की प्रभुता पूर्णरूप से देखी जा सकती है। इसके विपरीत नगर में धर्म को अधिक महत्त्व नहीं दिया जाता है। लोग सांसारिक वस्तुओं व आशाओं में दिन-रात लीन रहते हैं।
4. गाँव में परम्पराओं, प्रथाओं जनरीतियों तथा लोकाचारों को अधिक महत्त्व दिया जाता है। सामाजिक